भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 318
दिनांक 22.07.2025 को उत्तरार्थ

पंचायतों के विकास हेतु धनराशि

318 .श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में पंचायतों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि आवंटित की है;

(ख) दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र सहित राज्य-वार आवंटित, उपयोग की गई और अप्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न सामाजिक समूहों, वंचित वर्गों के विकास को सुनिश्चित करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों को कोई विशिष्ट धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र सहित वर्षवार और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) पंचायत राज्य का विषय है और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करता है और उनकी सहायता करता है, जिसमें निरंतर आधार पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कामकाज संबंधी योजनाओं के तहत धनराशि संबंधी सहायता भी शामिल है।

पंचायती राज मंत्रालय, निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और उनके पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण तथा ग्राम पंचायत भवन और कंप्यूटरीकरण जैसी अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत बनाने के प्राथमिक उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की एक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीएसए योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली सहित) जारी की गई धनराशि, उपयोग की गई धनराशि और अप्रयुक्त शेष राशि का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ) पंचायती राज मंत्रालय की योजना के अंतर्गत, वंचित वर्गों के लिए पंचायतों हेतु कोई विशेष धनराशि का प्रावधान नहीं है। हालाँकि, पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) अनुदान प्राप्त होता है। वर्तमान में, पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर धनराशि प्राप्त हो रही है, जिसके दो घटक हैं – टाइड और अनटाइड। टाइड अनुदान का उपयोग पेयजल, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त स्थिति के रखरखाव के लिए किया जाता है। अनटाइड अनुदान का उपयोग भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत महसूस की गईं जरूरतों के लिए किया जाता है - जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन, महिला एवं बाल विकास, विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण और कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों

और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत टाइड और अनटाइड अनुदानों का राज्यवार आवंटन **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायतों में ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के उद्देश्य से पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एमजीएनआरईजी) योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण के तहत कुल 97.67 करोड़ रुपये आवंटित किए गए ।

***

अनुलग्नक-I

पंचायतों के विकास हेतु धनराशि के संबंध में दिनांक 22.07.2025 को पूछा जाने वाला लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 318 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीएसए योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी, उपयोग की गई और अप्रयुक्त शेष धनराशि

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई धनराशि*	उपयोग की गई धनराशि#	अव्ययित धनराशि$
1	आंध्र प्रदेश	2.52	81.01	15.53
2	अरुणाचल प्रदेश	250.78	300.36	0.18
3	असम	192.99	259.16	2.40
4	बिहार	58.37	199.93	1.25
5	छत्तीसगढ	34.07	85.9	1.60
6	गोवा	2.24	3.41	0.15
7	गुजरात	0	16.77	9.13
8	हरियाणा	5	20.14	8.36
9	हिमाचल प्रदेश	107.17	149.92	6.14
10	जम्मू और कश्मीर	170	214.25	0.29
11	झारखंड	31	70.95	12.12
12	कर्नाटक	72.25	114.2	6.52
13	केरल	50.4	92.82	1.92
14	मध्य प्रदेश	100.17	316.25	3.25
15	महाराष्ट्र	233.96	458.1	5.16
16	मणिपुर	18.19	15.56	8.12
17	मेघालय	14	20.27	0.54
18	मिजोरम	36.27	63.81	2.73
19	नगालैंड	20	23.74	1.63
20	ओडिशा	58.73	129.2	8.84
21	पंजाब	49.25	89.86	9.79

22	राजस्थान	36.72	103.41	20.61
23	सिक्किम	19.01	20.23	1.13
24	तमिलनाडु	70.42	98.3	1.80
25	तेलंगाना	20	32.71	27.76
26	त्रिपुरा	27.23	35.01	0.48
27	उत्तर प्रदेश	207.95	436.12	39.97
28	उत्तराखंड	157.15	187.16	2.92
29	पश्चिम बंगाल	90.65	190.89	14.45
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.91	3.49	1.12
31	दादरा एवं नगर हेवेली और दमन और दीव	3.14	4.88	0.00
32	लद्दाख	1	2.9	0.16

* धनराशि केवल केन्द्रीय हिस्से के रूप में जारी की गई।
# उपयोग की गई धनराशि में संबंधित वर्ष में जारी की गई केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी के साथ-साथ पिछले वर्षों में जारी की गई अप्रयुक्त शेष राशि भी शामिल है।
$ अप्रयुक्त शेष राशि में राज्य का हिस्सा और एकल नोडल खाते में अर्जित ब्याज शामिल है।

***

अनुलग्नक -II

"पंचायतों के विकास हेतु धनराशि" के संबंध में दिनांक 22.07.2025 को पूछा जाने वाला लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 318 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।
वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों का घटकवार एवं राज्यवार आवंटन

क्र. सं.	राज्य	2022-23			2023-24			2024-25		
		अनटाइड	**टाइड**	**कुल आवंटन**	**अनटाइड**	**टाइड**	**कुल आवंटन**	**अनटाइड**	**टाइड**	**कुल आवंटन**
1	आंध्र प्रदेश	804.00	1206.00	2010.00	812.40	1218.60	2031.00	860.80	1291.20	2152.00
2	अरुणाचल प्रदेश	70.80	106.20	177.00	71.60	107.40	179.00	75.60	113.40	189.00
3	असम	491.20	736.80	1228.00	496.40	744.60	1241.00	526.00	789.00	1315.00
4	बिहार	1536.80	2305.20	3842.00	1553.60	2330.40	3884.00	1645.60	2468.40	4114.00
5	छत्तीसगढ	445.60	668.40	1114.00	450.00	675.00	1125.00	476.80	715.20	1192.00
6	गोवा	22.80	34.20	57.00	23.20	34.80	58.00	24.80	37.20	62.00
7	गुजरात	978.40	1467.60	2446.00	989.20	1483.80	2473.00	1047.60	1571.40	2619.00
8	हरियाणा	387.20	580.80	968.00	391.60	587.40	979.00	414.40	621.60	1036.00
9	हिमाचल प्रदेश	131.60	197.40	329.00	132.80	199.20	332.00	140.80	211.20	352.00
10	झारखंड	517.20	775.80	1293.00	522.80	784.20	1307.00	554.00	831.00	1385.00
11	कर्नाटक	985.20	1477.80	2463.00	996.00	1494.00	2490.00	1054.80	1582.20	2637.00
12	केरल	498.40	747.60	1246.00	504.00	756.00	1260.00	533.60	800.40	1334.00
13	मध्य प्रदेश	1220.00	1830.00	3050.00	1233.20	1849.80	3083.00	1306.00	1959.00	3265.00
14	महाराष्ट्र	1784.40	2676.60	4461.00	1804.00	2706.00	4510.00	1910.40	2865.60	4776.00
15	मणिपुर	54.00	81.00	135.00	54.80	82.20	137.00	58.00	87.00	145.00
16	मेघालय	56.00	84.00	140.00	56.40	84.60	141.00	59.60	89.40	149.00
17	मिजोरम	28.40	42.60	71.00	28.80	43.20	72.00	30.40	45.60	76.00
18	नगालैंड	38.40	57.60	96.00	38.80	58.20	97.00	40.80	61.20	102.00

19	ओडिशा	691.20	1036.80	1728.00	698.80	1048.20	1747.00	740.40	1110.60	1851.00
20	पंजाब	424.80	637.20	1062.00	429.60	644.40	1074.00	455.20	682.80	1138.00
21	राजस्थान	1182.80	1774.20	2957.00	1195.60	1793.40	2989.00	1266.40	1899.60	3166.00
22	सिक्किम	13.20	19.80	33.00	13.20	19.80	33.00	14.00	21.00	35.00
23	तमिलनाडु	1104.40	1656.60	2761.00	1116.40	1674.60	2791.00	1182.80	1774.20	2957.00
24	तेलंगाना	566.00	849.00	1415.00	572.00	858.00	1430.00	605.60	908.40	1514.00
25	त्रिपुरा	58.80	88.20	147.00	59.20	88.80	148.00	62.80	94.20	157.00
26	उत्तर प्रदेश	2986.40	4479.60	7466.00	3018.80	4528.20	7547.00	3197.60	4796.40	7994.00
27	उत्तराखंड	176.00	264.00	440.00	178.00	267.00	445.00	188.40	282.60	471.00
28	पश्चिम बंगाल	1351.20	2026.80	3378.00	1366.00	2049.00	3415.00	1446.80	2170.20	3617.00

***